न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः– 7/18 (RCMS No. 2018/00034) मध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21

आर 2 आर सेवा बी–11 ए, बेसमेन्ट, जयपुर टॉवर, एम,आई, रोड, जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

जिला ई मित्र सोसायटी करौली जरिये जिला कलक्टर भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 माध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996

उपस्थितिः–

1. श्री संग्राम सिंह वकील प्रार्थी
2. श्री राजेश मित्तल वकील अप्रार्थी

नि र्ण य दिनांक :–14.08.2018

यह प्रार्थना पत्र माध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत पेश हुआ है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच दिनांक 21.09.2005 से दिनांक 31.03.2007 तक के लिये एक इकरार भरतपुर में हुआ जिसके तहत प्रार्थी को भरतपुर क्षेत्र में कियोस्क खोलकर उक्त कियोस्क पर बिना व्यवधान के कनैक्टविटी उपलब्ध करानी थी। प्रार्थी को अपनी सेवाये देनी थी एवं बदले में कमीशन लेना था। इस संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य एक इकरारनामा निष्पादित किया गया। इकरारनामे के शीर्षक संख्या 6 के तहत पक्षकारों को किसी भी तरह का नुकसान होने पर अथवा संविदा भंग होने पर प्रकरण को मध्यस्तम के मार्फत निपटाया जाना तय हुआ था। एकल मध्यस्तम संभागीय आयुक्त भरतपुर का होना निश्चित किया गया। जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी भरतपुर ने पत्रांक 53 दिनांक 06.06.2007 से आर 2 आर द्वारा एसओयू के प्रावधानों के अनुसार संतोषजनक सेवायें नही दिये जाने के कारण अनुबन्ध समाप्त कर फर्म की अमानत राशि 5 लाख रूपये एवं बैंक गारन्टी 10 लाख रूपये राज्य हित में जब्त करने का आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र माध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत पेश किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित किया है कि अप्रार्थी ने अपने जबाब के यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी का उक्त अवधि 2005 से मार्च 2007 का बिल बकाया है। अगर बिल राशि बकाया है तो वाद मियाद भीतर ही माना जाता है जैसाकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है। एमओयू मार्च 2007 तक चला व शिकायतें पूर्व की रही सिक्यूरिटी जप्ती का आदेश दिनांक 06.07.2007 का है अर्थात 2 माह बाद जो कि उक्त आदेश की वैधानिकता पर सवाल खड़ा कर देता है और अगर मार्च बाद आपसी सहमति से एमओयू आगे चलाता है तो अप्रार्थी की सहमति व स्वीकृति उक्त असंतोष पर्चा पत्राचार को समाप्त कर देता है। एमओयू समाप्ति के पश्चात सिक्योरिटी राशि जप्ती का आदेश 66 दिन पश्चात का है। उन्होंने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि दिनांक 26.09.2007 को ई–मित्र भरतपुर द्वारा प्रार्थी को एक पत्र कमांक ई–मित्र/07/101 प्राप्त हुआ जिसमें एमओयू निरस्त कर अमानत राशि जप्ती के बाबत् लिखा व 7 दिवस में व्यक्तिगत उपस्थित कर पक्ष रखने का कहा गया। जब उक्त एमओयू दिनांक 31.03.07 तक ही था आपसी सहमति से ही आगे चल सकता था वो भी एक वर्ष के लिये प्रार्थी ने अपने पत्र दिनांक 19.06.17 को व्यक्तिगत रूप से मिलकर नया एमओयू हस्ताक्षरित करने की प्रार्थना की। इस प्रकार दिनांक 31 मार्च 2007 को एमओयू की अन्तिम अवधि रही है। अप्रार्थी द्वारा यह आधार लिया जाना कि अन्य जिलों में अन्तोषपूर्ण सेवाये नही की हैं, एक पक्षीय गलत आधारों पर अपूर्ण वर्णन किया गया है। जबकि प्रार्थी का 20 जिलों में कार्य चला है। DOIT के साथ प्रार्थी आज तक जुडा हुआ है व वर्तमान में 5 जिलों राजधानी सहित कमशः जयपुर, सीकर, जोधपुर, भीलवाडा व चित्तोड में सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होने अंकित किया है कि एमओयू के अनुसार हर माह कमीशन देने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा किये गये कार्य का एक रूपये भी भुगतान नही करने व उल्टे जमा राशि सिक्योरिटी जप्त कर लेना कहॉ का न्याय है। प्रार्थी द्वारा जमा करायी गयी सिक्योरिटी राशि तय सीमा पैरा नं0 4.1.20 व DOIT द्वारा दिनांक 06.12.06 को पुनः उक्त आशय का पत्र जारी किया गया था। सिक्योरिटी राशि का जप्त किया जाना अवैधानिक है। अप्रार्थी द्वारा जप्त सिक्योरिटी में कोई नुकसान नही दर्शाया और न ही किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा जांच की गई, न ही सीधे तौर पर नुकसान बताया है। अप्रार्थी द्वारा एमओयू का उलंघन किया गया है। एमओयू के पैरा सं0 4.1.5 में बिजली, पानी, टेलीफोन का प्रति बिल राशि 3.95 निर्धारित की थी। जिसे घटाकर पानी के बिल की राशि 2 रूपये निर्धारित कर दी थी। एमओयू के पैरा सं0 4.1.21 के अनुसार 30 दिवस में बिल देना था जो आज दिनांक तक नही मिला है। बिल पेश करने का डाटा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को दिया जाना था जो अप्रार्थी द्वारा कभी भी उपलबध नही करवाया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त जमा सिक्योटिी राशि 15,00,000/– रूपये व कमीशन बिल राशि 1,01,000/रूपये मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अप्रार्थी से दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी आर 2 आर सेवा को भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली में कियोस्क खोलकर बिना व्यवधान के कनैक्टविटी उपलब्ध करानी थी तथा विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा जमा बिल की राशि 24 घण्टे के अन्दर ई–मित्र के खाते/संबंधित विभाग में जमा कराना अनिवार्य था। परन्तु प्रार्थी ने न तो विधि अनुकूल कियोस्क खोलकर उक्त सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया और न ही जमा शुदा राशियों को निर्धारित समय अवधि में ई–मित्र/संबंधित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभाग में जमा कराया है। प्रार्थी की प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों के पश्चात प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा बारम्बार मौखिक एवं लिखित आग्रह कर सेवाओं में सुधार का अवसर दिया गया परन्तु कोई सुधार नही किया गया। शिकायत कर्ताओं द्वारा बार बार शिकायतें करने पर अप्रार्थी ने अनुबंध को समाप्त कर प्रार्थी की जमा शुदा अमानत राशि व बैंक गारन्टी को राजहित में जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित अनुबंध की अवधि वक्त 2007 में समाप्त हो चुकी थी तथा मियाद अधिनियम 1963 के आर्टीकल 22 में किसी भी विवाद को प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित है। प्रार्थी ने उक्त विवाद दिनांक 24.02.2012 को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि लगभग 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है इसलिये प्रार्थी का उक्त विवाद मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है। उन्होंने लिखित बहस में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने अनुबंध की शर्त सं0 4.4.1.9 एवं 4.1.4 की पालना में अमानत राशि व बैंक गारन्टी को जब्त किया गया है। अप्रार्थीगण की उक्त समस्त कार्यवाही विधि अनुकूल व अनुबंध में वर्णित प्रावधानों के तहत की गयी है। इसलिये प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में कोई भी राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विस्तृत जबाब मय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रकरण मियाद बाहर होने एवं प्रार्थी द्वारा लापरवाही पूर्ण कृत्य होने व कियोस्क धारकों द्वारा बारम्बार शिकायत किये जाने के बाबजूद भी प्रार्थी द्वारा कोई सुधार नही किये जाने के कारण प्रार्थी की जमाशुदा अमानत एवं धरोहर राशि को जब्त किया गया है, जो उचित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच दिनांक 21.09.2005 से दिनांक 31.03.2007 तक के लिये एक इकरार भरतपुर में हुआ जिसके तहत प्रार्थी को भरतपुर क्षेत्र में कियोस्क खोलकर उक्त कियोस्क पर बिना व्यवधान के कनैक्टविटी उपलब्ध करानी थी। प्रार्थी को अपनी सेवायें देनी थी एवं बदले में कमीशन लेना था। इस संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य एक इकरारनामा निष्पादित किया गया। इकरारनामे के शीर्षक संख्या 6 के तहत पक्षकारों को किसी भी तरह का नुकसान होने पर अथवा संविदा भंग होने पर प्रकरण को मध्यस्तम के मार्फत निपटाया जाना तय हुआ था। एकल मध्यस्तम संभागीय आयुक्त भरतपुर का होना निश्चित किया गया। जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी भरतपुर ने पत्रांक 53 दिनांक 06.06.2007 से आर 2 आर द्वारा एसओयू के प्रावधानों के अनुसार संतोषजनक सेवायें नही दिये जाने के कारण अनुबन्ध समाप्त कर फर्म की अमानत राशि 5 लाख रूपये एवं बैंक गारन्टी 10 लाख रूपये राज्य हित में जब्त करने का आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र माध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत पेश किया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थी को करौली में कियोस्क खोलकर कनैक्टविटी उपलब्ध करानी थी तथा उपभोक्ताओं द्वारा जमा बिल की राशि 24 घण्टे के अन्दर ई–मित्र के खाते में या संबंधित विभाग में जमा करानी थी। परन्तु प्रार्थी ने न तो विधि अनुकूल कियोस्क खोलकर उक्त सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया और न ही जमा शुदा राशियों को निर्धारित समय अवधि में ई–मित्र या संबंधित विभाग में जमा कराया है। प्रार्थी को बार बार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मौखिक एवं कई बार लिखित पत्र देकर सेवाओं में सुधार करने का अवसर दिया गया था जिसके लिये ई मित्र द्वारा कई बार पत्र भी लिखे हैं। प्रार्थी को जिला ई गवर्नेन्स सोसायटी करौली ने पत्र लिखकर कार्य करने व नवीन सेवाओं का विस्तार करने हेतु लिखा गया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा सेवाओं में कोई सुधार नही किया गया। जिससे अप्रार्थी ने अनुबंध की शर्त सं0 4.4.1.9 की पालना में अमानत राशि व बैंक गारन्टी को जब्त किया गया है, जो उचित है। अप्रार्थी की उक्त समस्त कार्यवाही विधि अनुकूल व अनुबंध में वर्णित प्रावधानों के तहत की गयी है। जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मध्यस्तम समझौता अधिनियम 1996 खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official